सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 17 फाल्गुन, 1942 (श०) / 08 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	गन्ना उद्योग विभाग	01
(2)	वित्त विभाग	01
(3)	गृह विभाग	01
	कुल योग --	03

लाभ दिलाना

37. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "पी0 एम0 स्वनिधि योजना में पिछड़ा बिहार, 17 हजार आवेदन लम्बित" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" में पिछड़ रहा है, 35775 आवेदनों में 17 हजार आवेदन लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना गारंटी स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाने वाली 10 हजार का कर्ज लेने के लिये स्वीकृत 18700 आवेदनों में से केवल 7682 लोगों को ही उक्त योजना का लाभ मिल सका है तथा 11 हजार लोग अभी भी इंतजार में हैं, जबकि कोरोना काल की यह बेरोजगारी राज्य की सबसे बड़ी त्रासदी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" के आवेदित सभी आवेदकों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" अन्तर्गत बिहार में कुल सर्वेक्षित 1,53,515 (एक लाख तिरेपन हजार पाँच सौ पन्द्रह) फुटपाथ विक्रेता हैं । जिसमें से 89,632 (नवासी हजार छः सौ बत्तीस) आवेदन प्राप्त हैं । बैंकों द्वारा कुल 28,537 (अठाईस हजार पाँच सौ सैंतीस) आवेदनों को जाँचोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई है । 13,838 (तेरह हजार आठ सौ अड़तीस) आवेदकों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है । शेष लम्बित आवेदनों पर बैंकों द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप लाभुकों की साख विश्वसनीयता के जाँचोपरान्त बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है ।

(2) अस्वीकारात्मक । उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(3) स्वीकारात्मक । "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" के मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य के सभी योग्य लाभुकों का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने हेतु कार्य किया जा रहा है । साथ ही लोगों में जागरूकता लाने हेतु योजना का प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है ।

एफ0 आई0 आर0 का अनुसंधान कराना

38. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "धान गेहूँ खरीद में 35 करोड़ का कैश क्रेडिट घोटाला" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सूबे में किसानों से धान और गेहूँ खरीद के लिये मिली सरकारी राशि में से राज्य के 13 जिलों के पैक्स एवं व्यापार मंडलों ने 35 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राशि वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2017-18 के बीच इन समितियों को दी गई थी, जबकि राशि नहीं लौटाने से संबंधित F.I.R. होने के बावजूद उनके खिलाफ अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जबकि सहकारिता निबंधक द्वारा पुलिस महानिदेशक से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह 8 वर्ष पूर्व ही किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संबंधित सभी F.I.R का अनुसंधान कबतक पूरा कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

39. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "उत्तर बिहार में दम तोड़ रही चीनी मिलें 16 में नौ बंद" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में औद्योगीकरण और कृषि आधारित उत्पाद बढ़ाने पर जोर के बावजूद उत्तर बिहार में 16 चीनी मिलों में मोतीपुर, बगहा, रामनगर सहित 9 बंद है, मात्र 7 चीनी मिल चालू है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बंद चीनी मिलों को चालू करने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में बगहा, रामनगर सहित उत्तर बिहार में निजी क्षेत्र की नौ (9) चीनी मिलें कार्यरत हैं ।

बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाइयों को गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु निजी निवेशक को लीज पर चलाने हेतु पाँच निविदायें आमंत्रित की गयी थीं । जिसमें मोतीपुर चीनी मिल को इण्डियन पोटाश लिमिटेड (IPL) को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में स्थापित करने हेतु लीज पर दिया गया । परन्तु पाँच निविदाओं के उपरान्त बिहार राज्य चीनी निगम की बंद 8 इकाइयों एवं इसके अतिरिक्त फार्म लैण्ड को राज्य में Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित किया गया है ।

पटना :
दिनांक 8 मार्च, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 123(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550